

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता विरौल दरभंगा

सहदेव देव पौदार

वनाम

ओ बि० सो द्वारा अंचलाधिकारी गौड़ा बौराम

वाद संख्या-45/2013-14

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

04.03.2014 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा बड़गाँव थाना बड़गाँव ओ० पी० जिला दरभंगा।

खता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
396	850	18 डी० सम्पूर्ण	उ०-आवेदक नीज द०-आवेदक पु०-मुनाय सदा वगै० प०-बाला चौधरी एवं अन्य


प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि मद नं० 1 की भूमि वादी को वैध वो अधिकृत भूस्वामी से निबंधित विक्रय पत्र सं० 9468 दिनांक 07.11.1958 एवं 4723 दिनांक 13.11.1957 ई० को क्रय होकर निरन्तर दखल देहानी में है एवं प्रयुक्त की लाभान्वित होते है। उक्त एराजी का लगान रसीद उन्हे वर्षों का प्राप्त हो गया है साथ ही संधारित है। परंतु हाल सर्वे खतियान में गलत प्रविष्टी कर दी गई है। हाल सर्वे खतियान के कॉलम 2 में रैयत में भी नाम के स्थान पर अनावार बिहार सरकार का नाम प्रविष्ट कर दिया गया है

जो गलत है एवं परिमार्जन आवश्यक है। मद नं० 1 का एराजी पर वादी का मकानमय सहन है एवं वह भिण्डा के सहन है जिसका आवास का अंग माना जाना सर्वथा ग्राह्य है। उस एराजी से कोई अन्य को सरोकार नहीं है और न ही प्रतिवादी को दावा वो सरोकार है। मद नं० 1 की एराजी का मुख्य विहित है परंतु अधिनियम तहत एडमलरम फीस देय नहीं है जबकि कोर्ट फीस के मो० 20 प्रतिशत का वतौर मुद्रांक प्रस्तुत किया जाता है।

वाद की कारवाई के दौरान प्रतिवादी उपस्थित रहे परन्तु प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया यद्यपि बहस में भाग लिए. दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों का अवलोकन किया. वादी द्वारा केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया गया है एवं साक्ष्य के रूप में केवाला की प्रति संलग्न की गई है. साक्ष्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि केवाला में खेसरा संख्यां 421 दर्ज है जबकि वादपत्र में प्रश्नगत भूमि में खेसरा 859 उल्लेखित किया गया है परन्तु ट्रेश मैप संलग्न नहीं किया गया है जिसके कारण केवाला एवं वादपत्र में दर्ज खेसरा का सही स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है. वादी द्वारा हकियत वाद संख्यां 10479 मादानीय बंदोस्त न्यायालय में दर्ज होने सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न किया गया है. प्रश्नगत भूमि पर हकियत वाद अंबित रहने के कारण वादी के आवेदन को अस्वीकृत की जाती है. प्रश्नगत भूमि पर उक्त हकियत वाद के निष्पादन के उपरांत वादी नए सिरे से इस न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं.


उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापाल एवं संशोधित


04.03.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

दिल्ली


04.03.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

दिल्ली